FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......
......धर्मेन्द्र @ महेन्द्र......मुकाम......कोटा......
किस्म मुकदमा......88, 89......बनाम......सरकार......
......नं. ......95......सन् 2024......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/26	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी वाके ग्राम मण्डानिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 113 के खसरा नं0 888 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 908 रकबा 0.50 है0 कुल 2 किता की 1.18 है0 आराजी एवं खाता संख्या 112 के खसरा नं0 835 रकबा 1.25 है0, खसरा नं0 840 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 841 रकबा 0.12 है0 कुल 3 किता की 1.44 है0 आराजी स्थित है।उक्त दोनो खातो की कृषि आराजीयात की जमाबंदी में वादी का नाम महेन्द्र अंकित है जबकि वादी का सभी दस्तावेजात में नाम धर्मेन्द्र मेघवाल अंकित है, महेन्द्र एवं धर्मेन्द दोनो वादी के ही नाम है। अतः उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम महेन्द्र के स्थान पर धर्मेन्द्र दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन कियां है। प्रतिवादी नं0 1 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मजमेआम में जानकारी करने पर मुताबिक ग्रामवासियान ज्ञात हुआ है कि गांव में वादी को महेन्द्र व धर्मेन्द्र दोनो नामो से जाना जाता है। ग्रामवासियों के मुताबिक महेन्द्र व धर्मेन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम है। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेज पैन कार्ड, मार्कशीट, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि महेन्द्र व धर्मेन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन एवं तहसीलदार लाडपुरा की अनुशंषा के आधार पर वाद पत्र प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशितं किया जाता है कि ग्राम मण्डानिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 113 के खसरा नं0 888 रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 908 रकबा 0.50 है0 कुल 2 किता की 1.18 है0 आराजी एवं खाता संख्या 112 के खसरा नं0 835 रकबा 1.25 है0, खसरा नं0 840 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 841 रकबा 0.12 है0 कुल 3 किता की 1.44 है0 आराजी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी महेन्द्र पुत्र रामकल्याण के स्थान पर महेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र रामकल्याण दर्ज किया जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक ......30/1/26...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी कोटा	